

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना दिनांक 11.08.2023

अ.सं.संब0-6032/2023-

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना की सर्वोच्च संवर्द्धता समिति की बैठक में दिनांक-11.08.2023 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संवर्द्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारपरामर्श लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलेज सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलेज सं0 4 में अंकित जायजकन एंड कॉलेज सं0 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से सत्र-2023-24 हेतु अल्पवधिक संवर्द्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of Nursing College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Taluka Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	50
2	Tarai Pranay Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	60
3	B.L.D. Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	60
4	Swami Vivekanand Nursing School	Jamui	Post Basic B.Sc. Nursing	60
5	Kingway Technical Institute (College of Nursing)	Kaimur	B.Sc. Nursing	60
6	Shri Sai College of Nursing and Paramedical	Patna	Post Basic B.Sc. Nursing	60

नियम एवं शर्तें:-

- अल्पवधिक संवर्द्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- अल्पवधिक संवर्द्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना तथा बिहार परिचरिक निबंधन परिषद् पटना से सत्र-2023-24 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, तो ऐसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार परिचरिक निबंधन परिषद् पटना से सत्र 2023-24 हेतु मान्यता प्राप्त कर लेने तथा इसकी एक प्रति पञ्चद्विध विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
- यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संवर्द्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है तो ऐसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संवर्द्धता पत्र समर्पित करेंगे।
- यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क को राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
- सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा बैंक के माध्यम से जमा करेंगे।

8. विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body / बिहार सरकार अदि द्वारा निर्धारित सूचना अनुसार सरकार एवं अन्य मंत्रालयों को ज्ञात हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान को किसी भी कार्य विचार को औचित्य, निरीक्षण किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय / संस्थान बिहार सरकार / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body के नियमों / विनियमों अदि का पालन करने हेतु बध्य होगा।
10. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अधिनियम / परिनिधम / विनियम अदि का पालन करना महाविद्यालय / संस्थान के लिए बध्यकारी होगा।
11. महाविद्यालय / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / ग्रासक सूचना देकर अथवा सध्य / सूचना छिपाकर औजबधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्यवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

वि.उ.सी.ए.
8/9/2023
(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापार्क : संबं.-6032/2023-...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय / संस्थान को सूचनाार्थ एवं आवश्यक क कार्रवाई प्रेषित।

वि.उ.सी.ए.
8/9/2023
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापार्क : संबं.-6032/2023-...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सद्युक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, न दिल्ली / कुलसचिव आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं पराम केन्द्र बिहार को सूचनाार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी.ए.
8/9/2023
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापार्क : संबं. 6032/2023-...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-डीन(अकडमिक) / डीन(अयुष) / डीन(परीक्षा) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त प्रबंधिकारी / कुलपति के लिए सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी.ए.
8/9/2023
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 11.08.2023

अ.सं.संबं-6032/2023-..... / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना की संयुक्त संवर्द्धता समिति की बैठक में दिनांक-11.08.2023 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त हेतु समर्पित आवेदनो पर संयुक्त विचारपरंपरा लिए गए निर्णय के आलेख में निम्नलिखित सूची के कॉलम सं० 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं० 4 में अंकित मातृकम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबधिक संवर्द्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of Nursing College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Taruka Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	50
2	Tarul Pranay Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	60
3	B.L.D. Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	60
4	Swami Vivekanand Nursing School	Jamui	Post Basic B.Sc. Nursing	60
5	Kingway Technical Institute (College of Nursing)	Kaimur	B.Sc. Nursing	60
6	Shri Sai College of Nursing and Paramedical	Patna	Post Basic B.Sc. Nursing	60

नियम एवं शर्तें:-

1. औपबधिक संवर्द्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत शर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबधिक संवर्द्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार प्रत्यक्षिक निबंधन परिषद् पटना से सत्र-2023-24 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, तो ऐसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार प्रत्यक्षिक निबंधन परिषद् पटना से सत्र-2023-24 हेतु मान्यता प्राप्त कर लेगे तथा इसकी एक प्रति एकाईड विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संवर्द्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है तो ऐसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संवर्द्धता पत्र समर्पित करेंगे।
5. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है तो समझे निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क को राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दे।
6. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा मांग किए जाने पर जमा करेंगे।

8. विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body / बिहार सरकार आदि द्वारा नियमानुसूलन अन्तर्गत स्वीकृत एवं अनुमतिपत्रों को प्राप्त हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान को किसी भी कार्य बिहार को औद्योगिक निरीक्षण किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय / संस्थान बिहार सरकार / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय / Concerned Apex Regulatory Body के नियमों / विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
10. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम / परिनिधम / विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय / संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
11. महाविद्यालय / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / ग्रासक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपचारिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

वि.उ.सी.
8/9/2023
(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-...../

पटना, दिनांक 8/9/2023

प्रतिलिपि-प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय / संस्थान को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी.
8/9/2023
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-...../

पटना, दिनांक 8/9/2023

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया न दिल्ली/कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परीक्षा केन्द्र बिहार को सूचनाार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी.
8/9/2023
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं. 6032/2023-...../

पटना, दिनांक 8/9/2023

प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त प्रदाधिकारी/कुलपति के निर-सचिव बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी.
8/9/2023
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना